



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला(कांगड़ा)-176213

क्रमांक:हिशिबो(19)संचालन-1/CF-7(III)CSDS/2024- 3390-3450 दिनांक: 18/10/2024

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19.3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा विनियम, अध्याय 9 के निम्नलिखित उप-नियमों में निम्न प्रकार से संशोधित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

Existing Rule		Approved Rule	
9.9.2	When a person appointed as Superintendent/Deputy Superintendent fails to report for duty, the concerned Co-ordinator shall make alternative arrangement keeping in view the qualifications/disqualifications laid down in Regulation 9.4.2, 9.4.3, 9.5.1 and 9.5.2 and report the matter to the Controller of Examination immediately.	9.9.2	When a person appointed as Superintendent/ Deputy Superintendent fails to report for duty, the concerned co-ordinator shall make alternative arrangement keeping in view the qualifications/disqualifications laid down in Regulation 9.4.2, 9.4.3, 9.5.1 and 9.5.2 and report the matter to the Secretary immediately. However, this provision shall not be applicable to the Privately Managed Examination Centres. The matter regarding absence of Centre Superintendent/Deputy Superintendent shall be reported to the Secretary immediately and the Centre Co-ordinator shall appoint Centre Superintendent/Deputy Superintendent on his own purely as a stop gap arrangement till the joining of the centre Superintendent/Deputy Superintendent appointed by the Board. As soon as the Centre Superintendent/Deputy Superintendent appointed by board takes over the Charge of Centre. Superintendent/Deputy Superintendent appointed as stop gap arrangement will be relieved automatically.

यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.प्र.से.)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला(कांगड़ा)-176213

4. निजी सहायक माननीय अध्यक्ष/सचिव।
5. अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव।
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला को उपरोक्त निर्णय को हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र तथा E-Gazette में प्रकाशित करने हेतु।
7. उप नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा/सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
8. अनुभाग अधिकारी, आई०टी० सैल को इस आशय सहित कि वे उक्त अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की Website पर अपलोड करवाएं।
9. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय सहित प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को आगामी बोर्ड बैठक में सम्पुष्टि हेतु मामला प्रस्तुत करवाएंगे।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
11. समस्त जिला प्रबन्धक/प्रभारी, पुस्तक वितरण केन्द्र, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र।
12. प्रभारी, लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड।
13. रक्षक संचिका।

डॉ०(मेजर) विशाल शर्मा (हि.प्र.प्र.से.)
सचिव